न्यायालय सिविल जज(सी०डि०), वाराणसी।

JO CODE:- UP02063

प्रकीर्ण वाद संख्या-386/2022

C.N.R No. UPVR05-001819-2022

श्री प्रभु नरायन --------बनाम------उ०प्र०सरकार वगै०

दिनाँकः-19.10.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र 3 ग के द्वारा धारा 80 जा०दि० के अधीन यथा अपेक्षित नोटिस का तमीला कराये बिना वाद दाखिल करने की अनुमति चाही गयी है। डी०जी०सी० सिविल द्वारा प्रार्थनापत्र पर मौखिक रूप से घोर विरोध किया गया।

सुना तथा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला अर्जेन्ट प्रकृति का है। प्रार्थनापत्र 3 ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 3 ग स्वीकार किया जाता है, तथा प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद योजित करने के पूर्व धारा 80 जा०दि० के अधीन यथा अपेक्षित नोटिस का तमीला कराए बिना प्रार्थी को वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। मूलवाद दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई मूलवाद दिनाँक 20.10.2022 को पेश हो।

(कुमुद लता त्रिपाठी)
सिविल जज(सी०डि०),
वाराणसी।

(वैयक्तिक सहायक)
केशव प्रकाश वर्मा